न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 210 / 2021

निर्णय दिनांक :–26.05.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. मदनलाल पुत्र रामलक्ष्मण जाति ब्रहाम्ण निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रामचरण पुत्र रामलक्ष्मण जाति ब्रहाम्ण निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. रामप्रसाद दत्तक पुत्र रामस्वरूप जाति ब्रहाम्ण निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार **आराजी खाता संख्या 318 खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.78 है0** वाके ग्राम बडोली तहसील दूनी जिला, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता कथनानुसार पडोसी खातेदार से सीमा विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् **2074–77** में अंकित **आराजी खाता संख्या 318 खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.78 है0** वाके ग्राम बडोली तहसील दूनी जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली